रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्येष्ठ 11, 1939
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरा नियम, 2017 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में, —

 (क) नियम 2 के उप-नियम (1) में, —

 (i) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

 ‘(ककक) “आधार संख्या” से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (क) के अधीन यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है;

 ‘(ककख) “अधिप्रमाणन” से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (ग) के अधीन यथा परिभाषित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

'(ककग) "निवासी" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (फ) के अधीन यथा परिभाषित व्यष्टि अभिप्रेत है;

'(ककघ) "पहचान सूचना" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सूचना अभिप्रेत है;

'(ककङ.) "ई-अपना ग्राहक जानिए अधिप्रमाणन सुविधा" से आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा परिभाषित अधिप्रमाणन सुविधा अभिप्रेत है;

'(ककच) "हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा" से आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा परिभाषित अधिप्रमाणन सुविधा अभिप्रेत है;

(ii) खंड (घ) के "पासपोर्ट चालन अनुज्ञप्ति" से आरम्भ होने वाले भाग और "विनियामक के परामर्श से" समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसमें नाम, पता के ब्यौरे हों या कोई अन्य दस्तावेज, जो विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, द्वारा जारी पत्र"

(ख) नियम 9 में, उप-नियम (4) से उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: —

"(4)" जहां ग्राहक कोई ऐसा व्यष्टि है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को, —

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या; और

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप संख्या 60,

और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में दस्तावेज भी हैं, जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां कोई आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं की गई है वहां ग्राहक आधार के लिए नामांकन के आवेदन का सबूत देगा और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो 'शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह और कि उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले ग्राहक द्वारा फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4क) जहां ग्राहक कोई ऐसा व्यष्टि है जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप संख्यांक 60 प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि ग्राहक स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो वह अपनी पहचान और पते के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला 'शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति, हाल ही में खींचे गए एक फोटोग्राफ की प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में दस्तावेज भी हैं, जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।

(5) उप-नियम (4) और उप-नियम (4क) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यष्टि, जो किसी बैंककारी कंपनी में अल्प खाता खोलने की वांछा करता है, स्वतः अनुप्रमाणित फोटोग्राफ के प्रस्तुत किए जाने पर और खाता खोलने के लिए

प्ररूप पर, यथास्थिति, हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठा निशान लगाने पर ऐसा खाता खोलने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु—

(i) अल्प खाता खोलते समय बैंककारी कंपनी का कोई पदाभिहीत अधिकारी अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में, यथास्थिति, अपने हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठा निशान लगा दिया है;

(ii) अल्प खाता मुख्य बैंककारी समाधान सम्बद्ध कंपनी की शाखाओं में या किसी ऐसी शाखा में, जहां इसे शारीरिक रूप से मॉनीटर करना संभव हो, खोला जाएगा और यह सूचित किया जाएगा कि विदेशी प्रेषण अल्प खाते में जमा नहीं किए जाते हैं और ऐसे खातों में संव्यवहारों का मासिक तथा वार्षिक संव्यवहारों का कुलयोग और अतिशेष सम्बन्धी नियत सीमाओं को ऐसे संव्यवहार किए जाने के लिए अनुज्ञात होने से पूर्व भंग नहीं किया जाता है;

(iii) अल्प खाता आरम्भ में बारह मास की अवधि के लिए और उसके पश्चात् बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवर्तनशील रहेगा यदि ऐसा खाता धारक उक्त खाते के खुलने के बारह मास के भीतर शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज के लिए बैंककारी कंपनी के समक्ष आवेदन किए जाने का साक्ष्य चौबीस मास के पश्चात्, उक्त खाते की बाबत पुनर्विलोकन किए जाने वाले सम्पूर्ण शिथिलीकरण विषक उपबंधों के साथ उपलब्ध कराता है;

(iv) अल्प खाते को मॉनीटर किया जाएगा और जब धन शोधन या आतंक के वित्त पोषण या अन्य किसी जोखिम दृश्यलेख के बारे में संदेह है तो ग्राहक की पहचान उप-नियम (4) में यथानिर्दिष्ट शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों को उसके प्रस्तुतीकरण के माध्यम से और ग्राहक का आधार संख्या या जहां आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं किया गया है वहां शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन के सबूत के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी;

परंतु यह और कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है तो ग्राहक की पहचान शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी।

(v) विदेशी विप्रेषण को अल्प खाते में जमा किए जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तब तक कि ग्राहक की पहचान उप-नियम (4) में निर्दिष्ट शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से और ग्राहक की आधार संख्या या जहां आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं की गई है वहां शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन के सबूत के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूर्णतः साबित नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यह कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है तो ग्राहक की पहचान शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी।

(6) जहां ग्राहक कंपनी है वहां उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए वह निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा: —

(i) निगमन का प्रमाणपत्र;

(ii) संगम के ज्ञापन और अनुच्छेद;

(iii) निदेशक बोर्ड से संकल्प और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए प्रदान किया गया मुख्तारनामा;

(iv) (क) आधार संख्या;

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप 60, जो कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए किसी मुख्तारनामा रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले प्रबंधक, अधिकारी या या कर्मचारी आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करते हैं तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(7) जहां ग्राहक भागीदारी फर्म है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्निलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा: —

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ii) भागीदारी विलेख; और

(iii) (क) आधार संख्या; और

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(8) जहां ग्राहक न्यास है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्निलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा: —

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ii) न्यास विलेख; और

(iii) (क) आधार संख्या; और

(ख) आयकर नियम, 1962 में, यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वह स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(9) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है वहां वह निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को भेजेगा: —

(i) ऐसे संगम या व्यष्टियों के प्रबंध निकाय का संकल्प;

(ii) उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए उसे अनुदत्त मुख्तारनामा;

(iii) (क) आधार संख्या;

(ख) आयकर नियम, 1962 में, यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा; और

(iv) ऐसी सूचना, जो ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हो:

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) उप-नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(15) कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व इस नियम के उपबंधों के अधीन आधार संख्या की प्राप्ति के समय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए या तो ई-अपना ग्राहक जानिए अधिप्रमाणन सुविधा या हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए अधिप्रमाणन करेगा।

"(16) यदि नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ग्राहक जम्मू-कश्मीर, असम या मेघालय राज्यों का निवासी नहीं है या निवासी है और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है, ग्राहक शासकीय रुप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी पहचान तथा पते के ब्यौरे, हाल ही में खींचे गए एक फोटोग्राफ और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में अन्य दस्तावेज भी हैं, जिनकी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षा की जाए।

"(17) (क) यदि ग्राहक आधार के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र है और नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करता है, आधार संख्या या स्थायी लेखा संख्यांक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के साथ सम्बन्ध पर आधारित खाते के प्रारम्भ के समय प्रस्तुत नहीं करता है, ग्राहक खाता आधारित सम्बन्ध के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा:"

परंतु आधार के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र ग्राहक इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व रिपोर्ट करने वाले अस्तित्वों के साथ पहले से ही सम्बन्ध आधारित खाता रखते हुए स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करता है, ग्राहक 31 दिसम्बर, 2017 तक आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा।

(ख) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों में स्थानीय प्राधिकरण आधार नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्टार बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष आधार नामांकन शिविर आयोजित कर रहे हैं और इस नियम में यथा उपबंधित खाता आधारित सम्बन्ध प्रारम्भ करने के इच्छुक कोई भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए नामांकित नहीं कराया है, आधार नामांकन के लिए या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्टारों के अड़ोस-पड़ोस में आधार नामांकन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर जा सकता है।

(ग) यदि ग्राहक पूर्वोक्त छह मास की अवधि के भीतर आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उक्त खाता ग्राहक द्वारा आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत किए जाने तक प्रवर्तन में नहीं रहेगा।

(18) यदि नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या या स्थायी लेखा संख्यांक से सम्बन्धित पहचान सूचना में ग्राहक का वर्तमान पता नहीं है तो ग्राहक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

[अधिसूचना सं. 2/फा. सं. पी. 12011/11/2016-ईएस सेल-डीओआर]

मंदीप कौर, उप-सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. सं. 444(अ), 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 717(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. 816(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 693(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. 882(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015 और सा.का.नि. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2017

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, —

(a) in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) after clause (aa), following clauses shall be inserted, namely:—

‘(aaa) "Aadhaar number" means an identification number as defined under sub-section (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aab) “authentication” means the process as defined under sub-section (c) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aac) “Resident” means an individual as defined under sub-section (v) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aad) “identity information” means the information as defined in sub-section (n) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aae) “e – KYC authentication facility” means an authentication facility as defined in Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016;

(aaf) “Yes/No authentication facility” means an authentication facility as defined in Aadhar (Authentication) Regulations, 2016;’;

(ii) for clause (d), the portion beginning with “the passport, the driving licence” and ending with “in consultation with the Regulator” the following shall be substituted, namely:—

“the passport, the driving licence, the Voter's Identity Card issued by Election Commission of India, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government, the letter issued by the National Population

Register containing details of name, address or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Regulator"

(b) in rule 9, for sub-rule (4) to sub-rule (9), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) Where the client is an individual, who is eligible to be enrolled for an Aadhaar number, he shall for the purpose of sub-rule (1) submit to the reporting entity,—

(a) the Aadhaar number issued by the Unique Identification Authority of India; and

(b) the Permanent Account Number or Form No. 60 as defined in Income-tax Rules, 1962,

and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the reporting entity:

Provided that where an Aadhaar number has not been assigned to a client, the client shall furnish proof of application of enrolment for Aadhaar and in case the Permanent Account Number is not submitted, one certified copy of an 'officially valid document' shall be submitted.

Provided further that photograph need not be submitted by a client falling under clause (b) of sub-rule (1).

(4A) Where the client is an individual, who is not eligible to be enrolled for an Aadhaar number, he shall for the purpose of sub-rule (1), submit to the reporting entity, the Permanent Account Number or Form No. 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962:

Provided that if the client does not submit the Permanent Account Number, he shall submit one certified copy of an 'officially valid document' containing details of his identity and address, one recent photograph and such other documents including in respect of the nature or business and financial status of the client as may be required by the reporting entity.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (4) and (4A), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account:

Provided that-

(i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thump print, as the case may be, in his presence;

(ii) the small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) the small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty-four months;

(iv) the small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (4) and the Aadhaar number of the client or where an Aadhaar number has not been assigned to the client, through the production of proof of application towards enrolment for Aadhaar along with an officially valid document;

Provided further that if the client is not eligible to be enrolled for an Aadhaar number, the identity of client shall be established through the production of an officially valid document;

(v) the foreign remittance shall not be allowed to be credited into the small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub rule (4) and the Aadhaar number of the client or where an Aadhaar number has not been assigned to the client, through the production of proof of application towards enrolment for Aadhaar along with an officially valid document:

Provided that if the client is not eligible to be enrolled for the Aadhaar number, the identity of client shall be established through the production of an officially valid document.

(6) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) Certificate of incorporation;

(ii) Memorandum and Articles of Association;

(iii) A resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf;

(iv) (a) Aadhaar numbers; and

(b) Permanent Account Numbers or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to managers, officers or employees holding an attorney to transact on the company's behalf or where an Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted:

Provided that for the purpose of this clause if the managers, officers or employees holding an attorney to transact on the company's behalf are not eligible to be enrolled for Aadhaar number and do not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(7) Where the client is a partnership firm, it shall, for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) registration certificate;

(ii) partnership deed; and

(iii) (a) Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding an attorney to transact on its behalf or where an Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted:

Provided that for the purpose of this clause, if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(8) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1) submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) registration certificate;

(ii) trust deed; and

(iii) (a) Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding an attorney to transact on its behalf or where Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted:

Provided that for the purpose of this clause if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(9) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) resolution of the managing body of such association or body of individuals;

(ii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;

(iii) (a) the Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding, an attorney to transact on its behalf or where Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case the Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted; and

(iv) such information as may be required by the reporting entity to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals:

Provided that for the purpose of this clause if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(c) after sub-rule (14), the following sub-rules shall be inserted, namely,—

" (15) Any reporting entity, at the time of receipt of the Aadhaar number under provisions of this rule, shall carry out authentication using either e-KYC authentication facility or Yes/No authentication facility provided by Unique Identification Authority of India.

(16) In case the client referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 is not a resident or is a resident in the States of Jammu and Kashmir, Assam or Maghalaya and does not submit the Permanent Account Number, the client shall submit to the reporting entity one certified copy of officially valid document containing details of his identity and address, one recent photograph and such other document including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the reporting entity.

(17) (a) In case the client, eligible to be enrolled for Aadhaar and obtain a Permanent Account Number, referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 does not submit the Aadhaar number or the Permanent Account Number at the time of commencement of an account based relationship with a reporting entity, the client shall submit the same within a period of six months from the date of the commencement of the account based relationship:

Provided that the clients, eligible to be enrolled for Aadhaar and obtain the Permanent Account Number, already having an account based relationship with reporting entities prior to date of this notification, the client shall submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by 31st December, 2017.

(b) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union-territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of commencing an account based relationship as provided in this rule, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI.

(c) In case the client fails to submit the Aadhaar number and Permanent Account Number within the aforesaid six months period, the said account shall cease to be operational till the time the Aadhaar number and Permanent Account Number is submitted by the client:

Provided that in case client already having an account based relationship with reporting entities prior to date of this notification fails to submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by 31st December, 2017, the said account shall cease to be operational till the time the Aadhaar number and Permanent Account Number is submitted by the client.

(18) In case the identity information relating to the Aadhaar number or Permanent Account Number submitted by the client referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 does not have current address of the client, the client shall submit an officially valid document to the reporting entity.".

[Notification No.2/F .No. P.12011/11/2016-ES Cell-DOR]

MANDEEP KAUR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544(E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693(E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015 and number G.S.R. 347(E), dated the 12th April, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.03 14:53:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.